

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (SDO) बाड़मेर

नाम पीठासीन अधिकारी:- श्री रोहित चौहान आर.ए.एस.  
प्रशासन गांवों के संग अभियान-2021 पंचायत धर सरणू चिमनजी  
प्रार्थी बनाम विप्रार्थीगण

तेजाराम पुत्र कालुराम जाति जाट  
निवासी डोगियालों की ढाणीयां सरणू  
चिमनजी तहसील एवं जिला बाड़मेर।

1. जैसाराम पुत्र कालुराम 2. चुनाराम  
पुत्र कालुराम 3. अणदाराम पुत्र  
अखाराम 4. सताराम पुत्र अणदाराम 5.  
पाबुराम पुत्र चोलाराम 6. भीमाराम पुत्र  
अणदाराम 7. अमराराम पुत्र चेतनराम  
जातियान जाट निवासीयान डोगियालों  
की ढाणीयां सरणू चिमनजी तहसील व  
जिला बाड़मेर 8. राणाराम पुत्र  
पदमाराम जाति नाई निवासी डोगियालों  
की ढाणीयां सरणू चिमनजी तहसील व  
जिला बाड़मेर 9. रमेश पुत्र शेरमल  
जाति जैन निवासी डोगियालों की  
ढाणीयां सरणू चिमनजी तहसील व  
जिला बाड़मेर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 करने नेखमबन्दी बाबत्  
राजस्व आवेदन संख्या-49/2021 दिनांक-06.12.2021

## आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा डोगियालों की ढाणी सरणू चिमनजी पटवार हलका सरणू  
तहसील व जिला बाड़मेर के खेत खसरा नम्बर 192/110 रकबा 0.01 बीघा, खसरा  
नम्बर 341/110 रकबा 0.11 बीघा, खसरा नम्बर 342/125 रकबा 7.06 बीघा, खसरा  
नम्बर 344/123 रकबा 13.13 बीघा, खसरा नम्बर 348/155 रकबा 6.18 बीघा, खसरा  
नम्बर 350/155 रकबा 10.16 बीघा, कुल खसरा 6 व कुल रकबा 39.05 बीघा किस्म  
बारानी सोयम के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु  
तहसीलदार बाड़मेर को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई  
करने से पूर्व प्रार्थी व विप्रार्थीगण को जरिये नोटिस/पत्र सूचित करते हुये एक निश्चित  
तारीख मुकर्रर कर (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढ़ी नही करने  
बाबत् राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 07.09.1992 के मदेनजर) कर पक्षकारान  
की उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे। कमीश्नर शुल्क रुपये 1500/- अक्षरे एक  
हजार पांच सौ रुपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थी द्वारा मौके पर अदा किया  
जावेगा।

(रोहित चौहान)

उपखण्ड अधिकारी (SDO) बाड़मेर

दिनांक-06/12/2021

क्रमांक/शीडर/2021/6531-6534

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है:-

1. तहसीलदार बाड़मेर पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथी अवश्य  
अंकित करें।
2. पटवारी सरणू को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथी को मय रेकॉर्ड उपस्थित  
रहकर नेखमबन्दी की कार्रवाई पूर्ण करावे।
3. प्रार्थी तेजाराम पुत्र कालुराम जाति जाट निवासी-डोगियालों की ढाणीया, सरणू  
चिमनजी तहसील व जिला बाड़मेर।
4. विप्रार्थी जैसाराम पुत्र कालुराम वगैराह जाति जाट/नाई/जैन निवासी डोगियालों  
की ढाणीयां सरणू चिमनजी तहसील व जिला बाड़मेर

उपखण्ड अधिकारी (SDO) बाड़मेर